लोकसभा / राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुति के लिए दस्तावेज

AUTHENTICATED

डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर, बिहार –848125

वर्ष 2019–20 के दौरान विश्वविद्यालय की समीक्षा।

पृष्ठभूमि

डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (RPCAU) पूसा की स्थापना वर्ष 2016 में हुई। इस विश्वविद्यालय को भारत में संगठित कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार की समृद्ध विरासत एवं संगठित कृषि शिक्षा की जननी माना गया है। वास्तव में इस संस्थान को वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा कृषि अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कृषि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा कृषि समुदाय के विकास के लिए प्रसार सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा में उनकी बेहतरी और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन विधाओं में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा कई शिक्षक, प्रशासक, नीति निर्धारक और शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों, सरकारी विभागों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ पदाधिकारी तैयार किए गये हैं। हमारे अनुसंधान एवं प्रसार कार्य के माध्यम से विज्ञान एवं कृषि के क्षेत्र में न केवल बिहार बल्कि पूरे देश लाभान्वित हुआ है।

उपलब्धियाँ

पेशेवर योग्यता को बढावा देने के उद्येश्य से विश्वविद्यालय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमशीलता में उत्कृष्टता हासिल करने की दिशा में सफलता के पथ पर आगे बढ रहा है, ताकि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नैतिक मूल्यों बरकरार रखते हुए कृषि समुदाय के उत्कृष्ट आजीविका हेतु विशेष सेवाएं प्रदान कर सके।

वित्तीय वर्ष 2019–20 की कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित थी–

शैक्षिक और शैक्षणिक

विश्वविद्यालय ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शैक्षणिक मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रगति की है। पिछले वर्ष की तुलना में 32.48% वृद्धि दर्ज करते हुए भारत के 27 राज्यों से कुल 546 छात्रों को प्रवेश दिया गया था। विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे SRF (18), JRF (21), NET (40), GATE (8), Govt.। नौकरी (17) यूजीसी फेलोशिप (3) और कैट (1) आदि में सफलता हासिल की, साथ हीं लगभग 50% प्रबंधन के छात्रों और 25% अन्य छात्रों को COVID–19 महामारी से पहले नौकरी हासिल हो गयी ।

विश्वविद्यालय–उद्योग संपर्क की कड़ी को मजबूत करने के लिए स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रम के विभिन्न विषयों में नामांकन हेतु कुल स्वीकृत संख्याबल के अरिरिक्त 5 प्रतिशत सीट प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के अलावे, स्नातकोत्तर और पीएचडी के विभिन्न विषयों में विदेशी छात्रों के प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराया गया है ताकि शिक्षा को और मजबूती मिल सके, साथ हीं छात्रों और शिक्षकों के पारस्परिक शैक्षणिक लाभ के लिए तीन राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के साथ सहयोग किया गया है। शैक्षणिक कार्य एवं अनुसंधान में शुचिता बनाये रखने के लिए, साहित्यिक नकल विरोधि अधिनियम लागू किए गये हैं। NAHEP कार्यक्रम के तहत, विश्वविद्यालय में ई–गवर्नेंस के कार्यान्वयन की पहल की गई है।

नव नियुक्त 51 सहायक प्राध्यापक– वैज्ञानिकों के लिए संकाय प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन 1 से 21 अगस्त, 2019 के

दौरान किया गया था, ताकि उन्हें विश्वविद्यालय के नियम और विनियमन और कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों/समस्याओं के बारे में अवगत कराया जा सके।

अनुसंधान एवं नवोन्मेष

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से विविध कृषि–पारिस्थितिक समस्याओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और फसल किस्मों के विकास हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2019–20 के दौरान, सात उन्नत किस्में, यथाः– सीवीआरसी/ एसवीआरसी द्वारा राजेंद्र गेहुं –1 एवं 3 (गेहूं), राजेंद्र सरस्वती (धान), राजेंद्र गन्ना – 1 (ईख), राजेंद्र धनिया – 1 एवं 2 (धनिया) और राजेंद्र संकर मक्का – 1 (मक्का) जारी किए गए।

विश्वविद्यालय द्वारा मंदिर में अर्पित पुष्प तथा प्रसाद के उचित निपटान करके उन्हें मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने का अद्वितीय मॉडल विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय के तकनीकी सहयोग से, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर (झारखंड) और बाबा गरीबनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर (बिहार)मंदिरों में भगवान शिव को अर्पित पुष्प को अब वर्मि–कम्पोस्ट में परिवर्तित जा रहा है और इसकी बिक्री से विगत मात्र 3 माह में 4.00 लाख रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय ने होली के त्यौहार के अवसर पर उपयोग के लिए पुष्प और हर्बल अर्क के साथ इको हर्बल गुलाल रंग भी विकसित किया है। इसके अलावा, भूजल नवीनीकरण के लिए और अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए एक पुनर्भरण (रिचार्ज) संरचना विकसित की गई है। इस प्रणाली से स्वच्छ जल को 6.5 पौन्ड तक स्वच्छ जल का पुनर्भरण होता है।

प्रसार

विश्वविद्यालय ने कृषक समुदाय के आर्थिक उत्थान के लिए अपने प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण हेतु बुनियादी ढाँचा विकसित किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, चार नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए थे और कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। किसान मेला –2020 का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2020 के अवधि में किया गया था जिसका मुख्य विषय था ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु अवशिष्ट प्रबन्धन। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षणों से कुल 3576 किसान लाभान्वित हुए तथा 5730 एफएलडी, 85 ओएफटी और 15 प्रौद्योगिकी मूल्यांकन परीक्षण का कार्य किया गया।

प्रशासनिक और ढांचागत उपलब्धियाँ

विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को उत्क्रमित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। 113 शिक्षक/वैज्ञानिक और 12 सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा 65 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती भी की गई है। प्रशासनिक सुधार की शुरुआत स्टाफ संरचना के पुनर्गठन और तर्कसंगत बनाने से हुई थी।

उद्यानिकी विभाग के भवन, तीन अनुसंधान केंद्रों के भवन, 72 टाईप–2 आवास, एक महिला छात्रावास और लड़कों के छात्रावास के नवीकरण का कार्य पूरा किया गया। इसके अलावा, पिपराकोठी में हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज का प्रशासनिक भवन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसफॉर इम्ब्रये ट्रान्सफर टेक्नोलोजी, पिपराकोठी, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एवं स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। छात्रों एवं विश्वविद्यालय कर्मियों के उपयोग के लिए विश्वविद्यालय परिसर में सुसज्जित व्यायामशाला स्थापित की गई थी।

विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श सेवा, परीक्षण, लाइसेंसिंग, प्रशिक्षण और बिक्री के माध्यम से राजस्व सृजन में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त समिति और विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की मंजूरी के बाद CAG द्वारा 2018–19 के लेखा–जोखा का ऑडिट किया गया।

मान्यता और पुरस्कार

यूनिवर्सिटी को ACEEU के एशिया पैसिफिक रीजन अवार्ड के लिए ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए शीर्ष पांच में नामित किया गया था।

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कुल 79 पुरस्कार (1 अंतर्राष्ट्रीय, 72 राष्ट्रीय और 06 राज्य स्तर पर) उनके शैक्षणिक और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए प्राप्त किए गए थे।

प्रकाशन

विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जर्नल में 237 शोधपत्र, 26 पुस्तकें, 80 पुस्तक अध्याय, 5 प्रशिक्षण मैनुअल, 3 नीति पत्र और 16 तकनीकी/ शोध बुलेटिन प्रकाशित किए हैं

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान पांच पेटेंट दायर किए गए थे।

डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर का वर्ष 2019–20 के लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार(अंकेक्षण) पटना के द्वारा माह नवम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 तक डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम 2016 के धारा (1) के उपधारा (2) मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया। अंकेक्षण महालेखाकार(अंकेक्षण) पटना के पत्र संख्या DGAC/LKO/BR- Patna DRPCAU-SAR(2019-20) 2020-2021/74 दिनांक 15.03.2021 अंतिम अंकेक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया जिसमें 4 टिप्पणियां की गई थी। इन चार टिप्पणियों का अनुपालन तैयार कर सम्बद्ध प्राधिकार को समर्पित कर दिया गया। नवम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित सुझावों को वर्ष 2020–21 एवं उससे आगे सही तरीके से अनुसरण किया गया। कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग के द्वारा 189.55 करोड़ रूपये सहायता अनुदान विश्वविद्यालय को विमुक्त किया गया था, जिसका सम्पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर का वर्ष– 2019–20 का अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा संसद के दोनों सदनों में रखा जाना था लेकिन कुछ कारणों से नियत समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

संसद में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अंकेक्षित वार्षिक लेखा जोखा रखने में विलम्ब की विवरणी नीचे दिया गया है:–

CAG द्वारा वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय, प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	11-9-2020
अकाउंटेंट सेंट्रल (ऑडिट), पटना को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना।	22-9-2020
महालेखाकार, पटना से ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति।	12-01-2021
महालेखाकार, पटना को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर पैरावार टिप्पणियों का प्रस्तुतीकरण।	18-01-2021
महालेखाकार, पटना से अंतिम (सेपरेट) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति।	27-03-2021
लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड की स्वीकृति।	03.08.2021
कुलाध्यक्ष (Visitor) की मंजूरी के लिए वार्षिक खातों का प्रस्तुतीकरण।	----
कुलाध्यक्ष (Visitor) की स्वीकृति की प्राप्ति।	----
वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियों की प्राप्ति।	----
संसद मे उन्हें रखने के लिए मुद्रित प्रतियों को डेयर (DARE) में प्रस्तुत करना।	----

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन।

संदर्भ पैरा	अवलोकन उपचारात्मक कार्रवाई	उपचारात्मक कार्रवाई
(क)	<u>तुलन पत्र</u> 1.1 चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची–2): ₹130.14 लाख जी0एफ0आर0 2017 के नियम 236(6) के प्रावधान के अनुसार, अनुदान के ऋणात्मक शेष लेखा पुस्तक में नहीं दिखाया जाना चाहिए। अतः अधिक व्यय को आई0आर0जी0 से पूरा किया जाना चाहिए और लेखा में ऋणात्मक आंकड़ा नहीं दिखाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय ने अप्रयुक्त अनुदान के अंतर्गत अनुसूची–3 में ₹130.14 लाख ऋणात्मक शेष के रूप प्रदर्शित की है। यह सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप चालू दायित्व ₹130.14 लाख से कम हो गया और कॉपर्स (अनुसूची–1) उसी समान राशि से बढ़ गया।	वितीय वर्ष 2020–21 में उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
(ख)	<u>आय एवं व्यय खाता</u> विश्वविद्यालय ने बैंक से ₹ 44,98,936.00 का ब्याज अर्जित किया है, लेकिन उसे आय–व्यय खाते में नहीं दिखाया था। इसके परिणाम स्वरूप आय–व्यय खाता एवं चल संपत्ति–बैंक शेष ₹ 44,98,936.00 से कम हो गया।	<u>नोटेड</u> वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखा में अर्जित ब्याज का उपचारात्मक सुधार कर लिया गया है।
(ग)	<u>सामान्य</u> विश्वविद्यालय ने बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया है जो कि ए एस 15 के साथ साथ एम0एच0आर0डी0 प्रारूप का उल्लंखन है।	<u>नोटेड</u> उपचारात्मक कार्रवाई हेतु।
(घ)	<u>अनुदान सहायता</u> विश्वविद्यालय को वर्ष 2019–20 के दौरान कृषि और किसान मंत्रालय एवं राज्य सरकार से ₹ 279.94 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष का अवशेष ₹ 36.47 करोड़ था। कुल ₹ 316.41 करोड़ में से, विश्वविद्यालय ने ₹ 313.48 करोड़ (पूंजीगत व्यय ₹ 99.99 करोड़ और राजस्व व्यय ₹ 13.49 करोड़) का उपयोग किया और मंत्रालय को ₹ 4.17 करोड़ का अनुदान वापस कर दिया और ₹ 6.00 लाख अन्य एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया। ₹ 1.30 करोड़ का अतिरिक्त खर्च अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया गया।	कृषि और कल्याण मंत्रालय (DARE) नई दिल्ली के प्राप्त अनुदान राशि का 100% उपयोग कर लिया गया है। अन्य फंडिंग एजेनसियों और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान का उपयोग संबंधित फंडिंग एजेन्सी द्वारा अनुदानों को देर से प्राप्ति होने के कारण पूरी तरह से राशि का उपयोग नहीं किया गया एवं कोविड–19 के कारण भी बाधित हुई।

Proceedings of the 13th meeting of the Board of Management of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Bihar held on 11.09.2020 at 11.00 AM in virtual mode.

Members participated

1.	Dr. R. C. Srivastava Vice-Chancellor	Chairman
2	Dr. R. C. Agarwal Deputy Director (Edn.) ICAR, New Delhi	Member
3	Dr. S.K. Malhotra Agriculture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Krishi Bhavan, New Delhi	Member
4	Dr. Shallen Agarwal Director, DARE representing Additional Secretary, DARE.	Member
5	Dr. S.M. Roy Choudhary Dean, College of Basic Sciencs & Humanities, RPCAU	Member
6	Dr. M. N. Jha, Director of Education RPCAU, Pusa	Member
7.	Smt. Anjani Debi New Ganga Sagar, Ward No. 26 Lal Bagh, Darbhanga	Member
8.	Sri Prakash Asthana Muhall- Belisarai, Motihari	Member
9.	Smt. Neelam Patel Senior Advisor (Agriculture) Govt. of India, NITI Ayog, New Delhi	Member
10.	Dr. M. N. Jha Registrar	Member Secretary

11. Approval of recommendations of the Finance Committee meeting held on [illegible] 2020

(a) Approval of Annual Accounts for the Financial year 2019-20

Dr. R. C. Agarwal and Dr. Saleen Agarwal, Members BOM showed their concern about excess expenditure of Rs. 25 crore under salary head by taking loan from the Bank and other accounts of the University. The Vice-Chancellor clarified that the loan of the Bank has already been recouped from other sources of the University. The Members of the Board of Management suggested that the University may request DARE to provide sufficient amount to the University for meeting its liabilities. Thereafter, the following resolution was adopted unanimously:

> "Resolved that the Annual Accounts for the Financial Year 2019-20 of the University is approved on the recommendation of the Finance Committee meeting held on 09.09.2020 for submitting the same to the Comptroller and Auditor General of India for conducting audit of the amount."